**[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]**

**भारत सरकार**

**वित्त मंत्रालय**

**(राजस्व विभाग)**

**अधिसूचना**

**सं. 1/2017- सेवा कर**

नई दिल्ली, दिनांक 12 जनवरी, 2017

सा.का.नि (अ), वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 93 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 25/2012-सेवा कर, दिनांक 20 जून, 2012, जिसे सा.का.नि. 467 (अ), दिनांक 20 जून, 2012 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और आगे भी संशोधन करती है, यथा :-
उक्त अधिसूचना में,-

प्रारम्भिक पैराग्राफ में,

(क) प्रविष्टि 29 के खण्ड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा,-

"बैंकिंग कंपनी के ग्रामीण क्षेत्र में खाते के संबंध में बैंकिंग कंपनी के कारोबार सुलभ करता अथवा कारोबार संवाददाता;"

(ख) प्रविष्टि 34 में, परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक को 22 जनवरी, 2017 को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा,-

"बशर्ते कि यह छूट –

(i) उप-वाक्य (क) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन और डाटाबेस एक्सेस या रिट्रीवल सेवाओं पर; या

(ii) भारत के बाहर अवस्थित स्थान से जहाज के द्वारा भारत में अवस्थित कस्टम क्लियरेंस स्टेशन तक माल का परिवहन करके प्रदान की जाने वाली सेवाओं जो उप-वाक्य (ग) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई हो पर

लागू नहीं होगी;”;

**[फा.सं. 354/42/2016-टीआरयू]**

**(अनुराग सहगल)**
**अवर सचिव, भारत सरकार**

**नोट :-** प्रधान अधिसूचना को अधिसूचना सं. 25/2015-सेवा कर, दिनांक 20 जून, 2012, सा.का.नि. 467 (अ), दिनांक 20 जून, 2012 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 52/2016-सेवा कर, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016, सा.का.नि. 1122 (अ), दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 के द्वारा संशोधन किया गया है।